भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3689

24.03.2025 को उत्तर के लिए

अमृतसर में बहिस्त्राव शोधन संयंत्र

3689. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमृतसर में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर बहिस्राव शोधन संयंत्रों (ईटीपी) की स्थापना और जल शोधन रसायनों के उपयोग के लिए प्रचालनरत उद्योगों को अनुदान देने की योजनाएं हैं;

(ख) इस क्षेत्र में सतत् औद्योगिक पद्धतियों को सहायता देने के लिए वहनीय ईटीपी और जल शोधन रसायनों के उत्पादन और उनकी उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या अमृतसर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक स्वच्छ और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने हेतु कोई विशिष्ट उपाय या योजनाएं लागू की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) को लागू कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। एएमआरयूटी के तहत अमृतसर शहर में ₹89.36 करोड़ रूपए की लागत वाली 10 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, सभी 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में ₹75.03 करोड़ रूपए की लागत वाली 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, ₹13.34 करोड़ रूपए की लागत वाली एक सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और ₹0.99 करोड़ रूपए की लागत वाली 4 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) 2.0 दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को परियोजनाओं के लिए ₹66,750 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ आरंभ किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा अब तक अमृतसर जिले में एएमआरयूटी 2.0 के तहत ₹213.29 करोड़ रूपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹102.89

करोड़ रूपए की लागत वाली 7 जलापूर्ति परियोजनाएँ और ₹110.4 करोड़ रूपए की लागत वाली एक सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शामिल है। स्वीकृत परियोजनाओं में 25.99 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र और 30 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज शोधन संयंत्र शामिल हैं।

केन्द्र सरकार के पास क्लस्टरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न अपशिष्टों के शोधन के लिए देश भर में सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना को सुकर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार अमृतसर की जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई है और अमृतसर के उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठकों में जिला पर्यावरण योजना में उल्लिखित कार्यकलापों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

****